न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 189/2020 **दायर दिनांकः 12/01/2020**

उनवान

1. बिहारी लाल आयु 75 वर्ष पुत्र श्री किशन जाति मीणा निवासी मूसेनमाता पा0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद आयु 50 वर्ष पुत्र जवाहरी लाल जाति मीना निवासी मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. सारू बाई आयु 60 वर्ष पुत्री जवाहरी लाल पत्नि प्रेमनारायण जाति मीना निवासी मूसेन माता हाल निवासी खानपुरिया पो0 सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. अजय आयु 24 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीना
4. अन्तिमा नाबालिग पुत्री मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता चन्द्रकला बाई जाति मीना
5. महेश नाबालिग पुत्र मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता चन्द्रकला बाई जाति मीना
6. माया नाबालिग पुत्री मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता चन्द्रकला बाई जाति मीना
7. चन्द्रकला बाई आयु 52 वर्ष पत्नि स्व0 मांगीलाल जाति मीना निवासी मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. शिमला आयु 25 वर्ष पुत्री मूसेन माता हाल निवासी तुलसा (कोटडी) तह0 बारां
9. चन्द्रप्रकाश पुत्र बिरधीलाल जाति मीना
10. सूर्यप्रकाश पुत्र बिरधीलाल जाति मीना
11. संजय पुत्र बिरधीलाल जाति मीना
12. कृष्णा कुमारी पुत्री बिरधीलाल जाति मीना
13. गीता बाई पत्नी स्व0 बिरधीलाल जाति मीना निवासी मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
14. जोधराज पुत्र जयलाल जाति मीना
15. पुरूषोत्तम पुत्र जयलाल जाति मीना
16. भोजराज पुत्र जयलाल जाति मीना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

17. सुगना पुत्री जयलाल जाति मीना निवासीगण मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां

18. जितेन्द्र पुत्र चौथमल जाति मीना

19. नितेश पुत्र चौथमल जाति मीना

20. प्रीतम पुत्री चौथमल जाति मीना

21. मैना पुत्री चौथमल जाति मीना

22. भूरी बाई पत्नि स्व0 चौथमल निवासीगण मूसेन माता हाल निवासी पुरानी धानमण्डी के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां

23. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

24. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाकः 14/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 66 के ख०न० 679 का रकबा 1.60 है०, ख0न0 680 का रकबा 1.12 है०, कुल किता 2 का रकबा 2.72 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 13 एवं प्रतिवादी क्रम 14 ता 17 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 18 ता 21 के दादा व 22 के ससूर के दर्ज खाता चली आ रही हैं। वादपत्र के साथ [illegible] नकल जमाबंदी संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी की पुरानी जमाबंदी संवत् 2052 सें 2055 की खाता संख्या 38 में खातेदारान जयलाल, [illegible]धीलाल वल्द लाला हिस्सा 1/2 , जवाहरी लाल, बिहारीलाल पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/2 कौम मीना सा0 मूसेन माता जी के ख0नं0 679 का रकबा 1.60 है0 ख0नं0 680 का रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.72 है0 आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज खाता चली आ रही थी। परन्तु आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए इसके बाद की जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 में वादी बिहारी लाल का नाम दर्ज नहीं करने की त्रुटी कर दी जबकि वादी का नाम बदस्तूर आगे की जमाबंदियों में दर्ज होना चाहिए था। आगे की जमाबंदियों में वादी का नाम दर्ज नही करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने की है। जिससे वादी आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित हो गया है जबकि वादी का उसके हिस्से 1/4 की आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 व 2056 से 2059 साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी बिहारीलाल उसके पिता के जीवनकाल से ही उसके 1/4 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं वादी 50 वर्ष से भी अधिक समय से आराजी पर बिना किसी रूकावट एवं व्यवधान के निरन्तर रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर एडवर्स पजेशन (कब्जा मुखालफाना) बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ के तहत खातेदार कृषक हो गया है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-

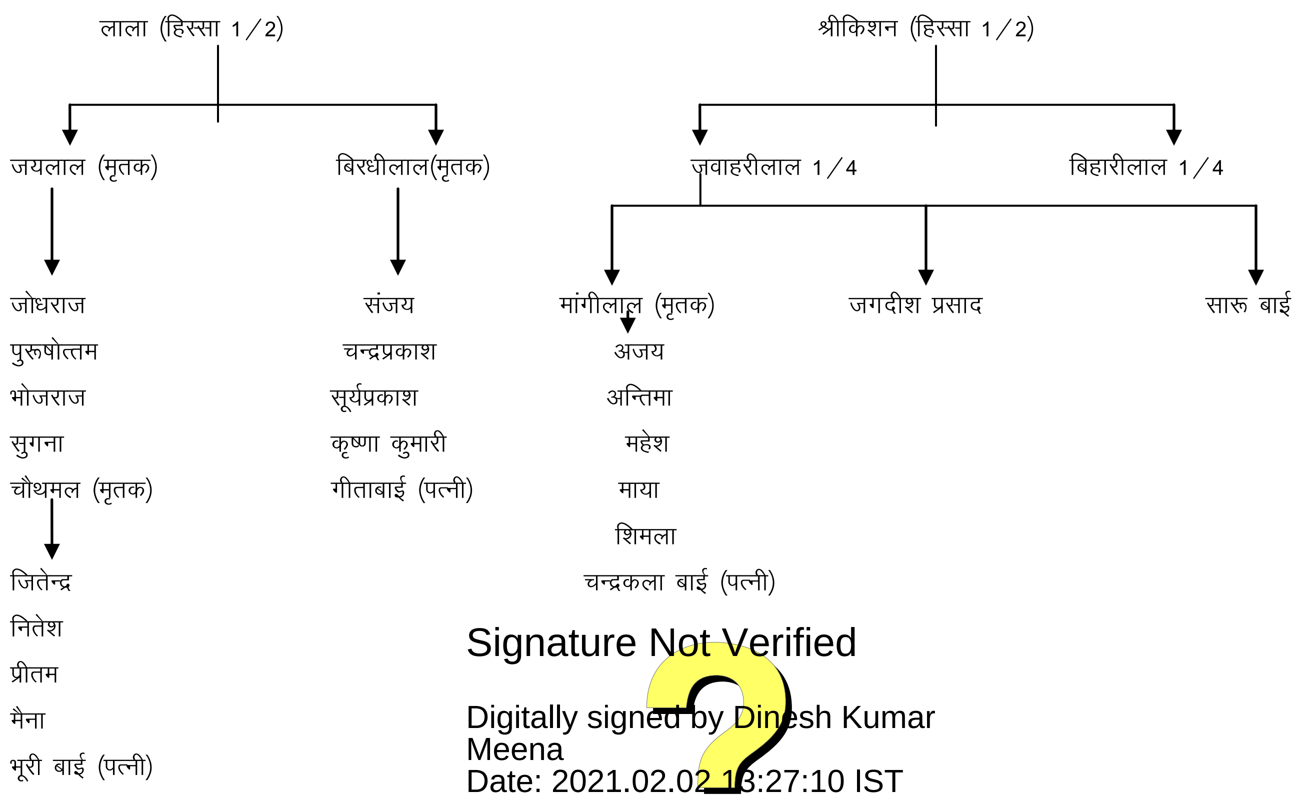

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

परिवारिक सजरा से स्पष्ट है कि लाला व श्रीकिशन का आराजी में हिस्सा 1/2 , 1/2 दर्ज खाता था तथा श्रीकिशन के पुत्र जवाहरी लाल बिहारीलाल का आराजी में हिस्सा 1/4, 1/4 दर्ज खाता था परन्तु आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने संवत् 2056 से 2059 में वादी

बिहारीलाल का हिस्सा 1/4 दर्ज नही करके नाम हटा दिया व जवाहरीलाल का हिस्सा 1/4 दर्ज नही करके 1/2 दर्ज कर दिया जबकि जवाहरी लाल के वारिसान के हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए व वादी बिहारीलाल के हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए जिसे दुरस्त करवाने का वादी अधिकारी एवं नॉलिशी है। वादी द्वारा जयलाल व बिरधीलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 9 ता 22 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। परन्तु वर्तमान में आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से तथा सहखातेदार होने से उन्हें फोरमल पक्षकार बनाया गया है। इसलिए वादी प्रतिवादी क्रम 9 ता 22 की तलबी नही करवाना चाहता है। सहखातेदार जयलाल की मृत्यु हो चुकी है इसलिए मृतक जयलाल के वारिसान को प्रतिवादी क्रम 14 ता 17 व मृतक जयलाल के पुत्र चौथमल की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए मृतक चोथमल के वारिसान को प्रतिवादी क्रम 18 ता 22 बनाकर यह वाद पेश किया गया है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एंव गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है अगर प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन, बैचान ,हस्तान्तरण कर दिया तो वादी को आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे वादी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के हिस्से 1/2 में से वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी के राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज की जावे जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह खाता संख्या 66 के कुल किता 2 का रकबा 2.72 है0 आराजी को कही रहन, बैचान हस्तान्तरण नहींकरें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज० सरकार जर्ये तहसीलदार साह० अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी०पी०सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद [illegible] नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 में वादी का नाम दर्ज नहीं करने की त्रुटि करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25/09/2020 प्रतिवादी क्रम 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

8 द्वारा आराजी बेचान करने व कब्जा करने की धमकी माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम खेडली नाहरिया पटवार मण्डल बमोरी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादी कम 1 ने आराजी पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटय से कृषि ऋण ले रखा है इसलिए बैंक को प्रतिवादी कम 23 बनाया गया है। इसलिए बैंक के ऋण का नोट प्रतिवादी कम 1 जगदीश प्रसाद के हिस्से पर अंकित किया जावें। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से तथा उक्त वाद खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने की वजह से उक्त वाद में तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी कम 24 आवश्यकता पक्षकार बनाया गया है।

वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 पारित की जावें कि:–

(अ) वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ता 8 के हिस्से 1/2 में से वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी वादी के राजस्व रिकोर्ड में खाते दर्ज किया जावें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किया जावें कि वह खाता संख्या 66 के कुल किता 2 का रकबा 2.72 है0 आराजी को कहीं रहन, बैचान, हस्तान्तरण नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हुआ है उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में चल रहा है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वाके ग्राम एवं माल खेड़ली नाहरिया पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 66 का ख.न. 679 का रकबा 1.60 है0, ख.नं. 680 का रकबा 1.12 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 2 का कुल रकबा 2.72 है० आराजी में वादी का नाम सहवन से संवत् 2055 के बाद की जमाबंदियों में दर्ज नही हुआ जबकि संवत् 2052 से 2055 व उससे पूर्व की जमाबन्दियों में खातेदारान जयलाल, बिरधीलाल वल्द लाला हिस्सा 1/2, जवाहरीलाल, बिहारीलाल पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/2 में नाम दर्ज खाता चला आ रहा था। जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 बनता है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी रकबा 2.72 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के हिस्से 1/2 में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने के लिए हम प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए राजीनामा के मुताबिक वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 जगदीशप्रसाद ने अपने हिस्से की आराजी पर बैंक आफ बडौदा शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा है इसलिए बैंक के ऋण का नोट प्रतिवादी क्रम 1 जगदीशप्रसाद के हिस्से पर अंकित रखा जावे।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा के मुताबिक वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाने की कृपा करें।राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर एड़0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 66 का ख.न. 679 का रकबा 1.60 है0, ख.नं. 680 का रकबा 1.12 है0

कुल किता 2 का कुल रकबा 2.72 है० आराजी में वादी का नाम सहवन से संवत् 2055 के बाद की जमाबंदियों में दर्ज नही हुआ जबकि संवत् 2052 से 2055 व उससे पूर्व की जमाबन्दियों में खातेदारान जयलाल, बिरधीलाल वल्द लाला हिस्सा 1/2, जवाहरीलाल, बिहारीलाल पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/2 में नाम दर्ज खाता चला आ रहा था। जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 बनता है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी रकबा 2.72 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के हिस्से 1/2 में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2052–2055 में वादी बिहारीलाल का नाम हिस्सा 1/2 में दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2056 से [illegible] में वादी का नाम दर्ज नहीं है। जो सवहन त्रुटि से नाम जमाबंदी में दर्ज नही हो पाया है सह खातेदारान द्वारा भी राजीनामा द्वारा नाम दर्ज करने हेतु सहमति दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 66 का ख.न. 679 का रकबा 1.60 है0, ख.नं. 680 का रकबा 1.12 है0 भूमि में जमाबंदी संवत 2052 से 2055 व संवत् 2056 से 2059 में वादी बिहारी लाल का नाम दर्ज है। इसके बाद की जमाबंदीयों में वादी का नाम दर्ज नही है प्रतिवादी गण द्वारा आपसी सहमति से उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 के हिस्से 1/2 में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अतः आपसी सहमति से वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया की खाता संख्या 66 का ख.न. 679 का रकबा 1.60 है0, ख.नं. 680 का रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.72 है0 में प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 के हिस्सा 1/2 में से वादी कम 1 बिहारीलाल को आधा हिस्से यानि 1/4 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 189/2020

उनवान

1 बिहारी लाल आयु 75 वर्ष पुत्र श्री किशन जाति मीणा निवासी मूसेनमाता पा0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद आयु 50 वर्ष पुत्र जवाहरी लाल जाति मीना निवासी मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. सारू बाई आयु 60 वर्ष पुत्री जवाहरी लाल पत्नि प्रेमनारायण जाति मीना निवासी मूसेन माता हाल निवासी खानपुरिया पो0 सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. अजय आयु 24 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीना
4. अन्तिमा नाबालिग पुत्री मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता चन्द्रकला बाई जाति मीना
5. महेश नाबालिग पुत्र मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता चन्द्रकला बाई जाति मीना
6. माया नाबालिग पुत्री मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता चन्द्रकला बाई जाति मीना
7. चन्द्रकला बाई आयु 52 वर्ष पत्नि स्व0 मांगीलाल जाति मीना निवासी मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. शिमला आयु 25 वर्ष पुत्री मूसेन माता हाल निवासी तुलसा (कोटडी) तह0 बारां
9. चन्द्रप्रकाश पुत्र बिरधीलाल जाति मीना
10. सूर्यप्रकाश पुत्र बिरधीलाल जाति मीना
11. संजय पुत्र बिरधीलाल जाति मीना
12. कृष्णा कुमारी पुत्री बिरधीलाल जाति मीना
13. गीता बाई पत्नी स्व0 बिरधीलाल जाति मीना निवासी मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
14. जोधराज पुत्र जयलाल जाति मीना
15. पुरूषोत्तम पुत्र जयलाल जाति मीना
16. भोजराज पुत्र जयलाल जाति मीना
17. सुगना पुत्री जयलाल जाति मीना निवासीगण मूसेन माता पो0 पटना तहसील अटरू जिला बारां
18. जितेन्द्र पुत्र चौथमल जाति मीना
19. नितेश पुत्र चौथमल जाति मीना
20. प्रीतम पुत्री चौथमल जाति मीना
21. मैना पुत्री चौथमल जाति मीना
22. भूरी बाई पत्नि स्व0 चौथमल [illegible] निवासी पुरानी धानमण्डी के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां
23. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बडौदा शाखा [illegible] तहसील अटरू जिला बारां
24. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहिब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....ग................ रूबरू..............ग..............................

बहाजिर :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया की खाता संख्या 66 का ख.न. 679 का रकबा 1.60 है0, ख.नं. 680 का रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.72 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के हिस्सा 1/2 में से वादी क्रम 1 बिहारीलाल को आधा हिस्से यानि 1/4 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)